संख्या :-82/2021/2417 ई-2/तेरह-2021- 399922

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारीआयुक्त,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

आबकारीअनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक 10दिसम्बर,2021**

विषय- मेसर्स सर शादीलाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स, मन्सूरपुर आसवनी, जनपद मुजफ्फरनगर की अधिष्ठापित क्षमता 250 कि.ली .प्रतिदिन के अन्तर्गत स्थापित 100 कि.ली.प्रतिदिन क्षमता के शीरे पर आधारित प्लान्ट को केवल ग्रेन से ई.एन.ए/.एथनॉल उत्पादन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी 69/दो-प्रा.डी.-21, दिनांक15-11-2021 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30-11-2021 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-2377ई-2/तेरह-2021-399922, दिनांक 06-12-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 15-11-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स सर शादीलाल डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स ,मन्सूरपुर आसवनी, मुजफ्फरनगर को पूर्व से स्वीकृत क्षमता 250 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 875 लाख लीटरके अन्तर्गत स्थापित 100 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 350 लाख लीटर शीरे पर आधारित प्लान्ट को केवल ग्रेन से ई.एन.ए./एथनॉल उत्पादन किये जाने जिसके अन्तर्गत 75 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 262.5 लाख ली. एथनाल उत्पादन करने एवं शेष 25 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 87.5 लाख ली. ई.एन.ए. उत्पादन पेय उद्देश्य हेतु करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(1) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

(2) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करनेएवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जानेहेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णयलिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।